ई-मेल

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

//परिपत्र//

क्रमांक 52 (चार–4–1)73 सागर दिनांक 17.05.2024

यह देखने में आया है कि आपराधिक प्रकरणों और सत्र प्रकरणों में न्यायालय के प्रवर्तन लिपिक द्वारा प्रकरण से संबंधित मुद्देमाल, संपत्ति प्राप्त होने पर उसकी प्रविष्टि सी.आई.एस. में दर्ज नहीं की जा रही है जिसके कारण प्रकरण से संबंधित मुद्देमाल, संपत्ति की पहचान एवं उसके मालखाना अनुभाग से संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने और संपत्ति के निराकरण में कठिनाई एवं विलंब होता है।

अतः सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके न्यायालय में प्राप्त होने वाले मुद्देमाल एवं संपत्ति की सी.आई.एस. में प्रविष्टि संबंधित लिपिक के माध्यम से दर्ज कर क्यू.आर. कोड का प्रिंट आउट निकालकर अभिलेख के साथ संलग्न करें और उसकी एक प्रति मालखाना नाजिर और नायब नाजिर को मुद्देमाल पर्चे के साथ भेजी जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही समस्त प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि जिला मुख्यालय सागर तथा तहसील मुख्यालयों के मालखाना अनुभागों में पूर्व से जमा हुए मुद्देमाल/संपत्ति के संबंध में संबंधित स्थान के मालखाना नाजिर/नायब नाजिर के माध्यम से तथा जे.एस.ए. सागर/आई.टी. असिस्टेंट के सहयोग से उक्त संपत्ति की प्रविष्टि सी.आई.एस. में दर्ज कराकर क्यू.आर. कोड जनरेट कराकर सभी संपत्तियों पर लगाया जाना सुनिश्चित करें एवं मुद्देमाल के पर्चे के साथ क्यू.आर. कोड लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

sd/-
(एम0के0शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर, म0प्र0

क्रमांक 2262 (चार–4–1)73 सागर दिनांक 17.05.2024 20

प्रतिलिपिः–

1. समस्त न्यायाधीशगण, न्यायिक जिला स्थापना सागर
2. प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग सागर/बंडा/बीना/देवरी/केसली/खुरई/रहली/गढाकोटा/मालथौन/शाहगढ़
3. जे.एस.ए. सागर एवं समस्त आई.टी. असिस्टेंट जिला स्थापना सागर।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर, म0प्र0
17.05.2024